न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 125/2022
निर्णय दिनांक : 11.07.2023

उनवान

1. तारीया पुत्र रामपाल (मृतक दौराने वाद)
/1. सेवाराम पुत्र तारीया
/2. रामचन्द्र पुत्र तारीया
जातियान मीणा, निवासी ग्राम सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. गंगा देवी बेवा तारीया (मृतक दौराने वाद नाम हजफ)

वादीगण

बनाम

1. रूपनारायण (मृतक दौराने वाद)
/1. ज्ञानाराम पुत्र रूपनारायण
/2. कल्याण पुत्र रूपनारायण
/3. सोहन पुत्र रूपनारायण
2. घनश्याम पुत्र तुलसा
3. बाबु पुत्र तुलसा
जातियान मीणा, निवासीगण ग्राम सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार जी सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत् इस्तकरार एवं विभाजन अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी तारीया ने एक वाद इस्तकरार व बंटवारा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम चक गेटोर में भूमि खसरा नम्बर 181, 182, 189, 192, 193, 194 वादी के पूर्वाजों की स्थित है, जिसका इन्द्राज तीन सगे भाई वादी तथा प्रतिवादी न. 1 व प्रतिवादी न. 2 व 3 के स्वर्गीय पिता तुलसा के नाम है। इस ही प्रकार ग्राम सवाई गेटोर में भूमि खसरा नम्बर 514, 515, 544–545, 508, 905, 203 है, जो भी वादी व प्रतिवादी न. 1 और प्रतिवादी न. 2 व 3 के स्वर्गीय पिता के नाम है। भूमि वर्णित मद संख्या 1 व 2 में तीन भाईयों का हिस्सा है और आपस में भूमि बांटकर अपने–अपने हिस्से पर काश्त करते है। सरकारी रिकार्ड में अभी तक सब भूमि प्रतिवादी न. 2 व 3 के पिता, प्रतिवादी न. 1 व वादी के नाम चल आ रही है। क्योंकि सम्मिलित इन्द्राज के कारण हक बात में व काश्त में दिक्कत होती है तथा मनमुटाव होता है अतः बंटवारा करना जरूरी हो गया है। वादी सवाई गेटोर में खसरा न. 203 व चक गेटोर में 194, 182, 181 पर काबिज है और लगान देता है। इस ही प्रकार प्रतिवादी न. 1 सवाई गेटोर में 514, 515, 544, 545, 905, 508 पर काबिज है तथा तथा इसका ही लगान देता है। प्रतिवादी न. 2 व 3 के स्वर्गीय पिता तुलसा चक गेटोर में 192, 193, 189 पर काबिज था तथा इसका लगान देता था जिस पर अब प्रतिवादी न. 2 व 3 काबिज है व लगान देते है। प्रतिवादी न. 4 भूमिधारी के

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिनिधि है इसलिए पार्टी बनाया है। वादी चाहता है कि तीनों भाईयों को भूमि जो शामिल दर्ज है इसका भाईयों द्वारा किये गये बंटवारे अनुसार बंटवारा किया जाकर अथवा भाईयों के रजामन्द न होने पर फिर बंटवारा किया जाकर अलग–अलग इन्द्राज फरमा दिया जावें। वाद बलिहाजा आराजी व निवास दोनों पक्ष अदालत सुनने योग्य है। अतः वादी चाहता है कि भूमि खसरा न. 203, 514, 515, 544, 545, 508, 905 ग्राम चक गेटोर भूमि खसरा न. 181, 182, 189, 192, 193, 194 ग्राम सवाई गेटोर में वादी का 1/3 भाग, प्रतिवादी न. 1 का 1/3 भाग तथा प्रतिवादी न. 2 व 3 का 1/3 भाग है। व कायम की जावें। भूमि का भाईयों का किये गये बंटवारे के अनुसार इन्द्राज अलग–अलग किया जावे अथवा फिर से बंटवारा किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.10.1979 को प्रतिवादी न. 1 लगायत 3 उपस्थित हुये। दिनांक 04.03. 1980 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण का जवाब मंजूर फरमाया जाकर वाकेयात के आधार पर वाद डिग्री फरमाया जावें। दिनांक 08.04.1981 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री राधेश्याम पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 22.08.1985 को वकील उभयपक्षकारान ने निवेदन किया कि इकबालिया जवाब दावा पेश हो चुका है इसलिए वाद बिन्दू की आवश्यकता नही है, पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह तारीया के बयान लेखबद्ध किये गये। दिनांक 9.12.85 को पक्षकारों को लोक अदालत दिंनाक 15.12.85 टेगोर विद्यालय भवन जयसिंह हाईवे, बनीपार्क में उपस्थित होने के आदेश दिया तथा उपस्थित पक्षकारों एवं अधिवक्तागण के हस्ताक्षर आदेशिका पर अंकित करवाये गये दिंनाक 15.12.85 को पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित हुये जहॉं वादी ने दिनांक 25.10.1979 को भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के अनुसार भूमि का तकासमा किये जाने तथा उसी अनुसार इंतकाल किया जाना तसलीम किया जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा समझाने पर वादी व प्रतिवादीगण द्वारा किये गये राजीनामा के आधार पर पत्रावली का अवलोकन व रेकार्ड की जॉच कर राजीनामा के आधार पर ख. नं. 181, 182, 192, 194 व 189 की भूमि प्रविादी संख्या 2 व 3 के हिस्से में ख. नं. 514, 515, 544–545, 508, व 905 प्रतिवादी संख्या 1 रूपनारायण के हिस्से में तथा ख. नं. 203 वादी के हिस्से में दी जाकर पर्चा डिक्रि जारी किया गया। दिनांक 26.12.1986 को प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि निर्णय व डिक्री में ग्राम का नाम छूट गया जिसे जोडा जावें। दिनांक 26.12.1986 को पत्रावली को तलब की जाकर निर्णय एवं डिक्री में ग्राम का नाम जोडे जाने के आदेश दिये उक्त निर्णय एंव डिक्रि के आधार पर समस्त राजस्व भू–अभिलेखो में भूमि के विभाजन अनुसार अलग–अलग खाता व लगान कायम कर दिया गया उसके पश्चात दिनांक 01.09.1994 को वादी के पुत्र सेवाराम की ओर से धारा 152 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूल पत्रावली को तलब किया गया और प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये गये। दिनांक 23.05.1996 को प्रतिवादीगण की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.06.1996 को बहस उभयपक्षकारान सूनी गई तथा दिनांक 17.06.1996 को वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना 152 जा0दी0

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

खारिज किया गया। उक्त प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 03.01.1998 की प्रति के साथ इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.1985 को अपास्त किया जाता है और राजीनामा पर पुनः सुनवाई करते हुए निर्णय पारित करे। प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 23.10.1998 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे दिनांक 26.02.2001 को स्वीकार किया जाकर वादी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 23.12.2002 को प्रकरण में वादी की ओर संशोधित उनवान पेश नही करने पर वादी का वाद खारिज किया गया। दिनांक 21.03.2006 को बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया गया। दिनांक 23.05.2007 को वादी की ओर आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे 22.11.2011 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 18.12.2013 को प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने से पत्रावली को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाई गई। दिनांक 24.05.2022 को पत्रावली सहायक कलक्टर जयपुर से क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से इस न्यायालय को प्राप्त हुई, प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 31.05.2022 को प्रतिवादीगण के जवाब दावा हेतु नियत किया गया। दिनांक 15.11.2022 को वादी की ओर प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया। दिनांक 16.01.2023 को वादी की ओर वादी संख्या 1/3 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया। दिनांक 10.04.2023 को वादी संख्या 1/3 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी संख्या 1/3 का नाम हजफ किया गया। दिनांक 18.04.2023 को वादी अधिवक्ता ने दिनांक 15.11.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया तथा प्रतिवादीगण की ओर जवाब दावा प्रस्तुत नही किये जाने पर जवाब दावा का अवसर बन्द किया गया। प्रकरण को साक्ष्यवादी हेतु नियत किया गया। दिनांक 03.07.2023 को वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य वादी प्रस्तुत न कर दस्तावेजों व पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य एवं राजीनामा के अनुसार निर्णय किये जाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने भी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सूनी गई।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर ज्ञात हुआ प्रकरण में राजीनामा दिनांक 25.10.1979 भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो अवाप्त की जा रही भूमियों के मुआवजे स्वरूप प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर दिनांक 15.12.1985 को राजीनामा एवं राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। दिनांक 15.12.1985 को लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं उनकी सहमति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन एवं जांच कर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसमें ग्राम चक गेटोर की भूमि खसरा नम्बर 181, 182, 192, 194, 189 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को, ग्राम सवाई गेटोर स्थित भूमि खसरा नम्बर 203 वादी को एवं ग्राम सवाई गेटोर स्थित भूमि खसरा नम्बर 514, 515, 544, 545, 508, 905 प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदार घोषित किया जाकर उनके मध्य विभाजन भी कर दिया गया। प्रतिवादीगण का यह

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सीगांवर)

मत रहा है कि उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.1985 के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गई और निर्णय एवं डिक्री के आधार पर राजस्व भू–अभिलेखों में भी इसी अनुरूप अंकन किया जा चुका है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें साबिका खसरा नम्बर जो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को खातेदारी दी गई से बनाए नये खसरा नम्बर 231, 231/507, 259, 267, 270 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम अंकित है। खसरा नम्बर 271 में वादी का 1/3 भाग, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 भाग एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 भाग अंकित है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 को निर्णय एवं डिक्री के अनुसार प्रदान की गयी भूमि को कालान्तर में अन्य व्यक्तियों एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर उनसे मुआवजा राशि एवं विक्रय मूल्य वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व उसके वारीसानो द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.1985 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नही है धारा 152 जा0दी0 "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन– निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणीत सम्बन्धि भूंले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमे हुई गलतियॉ न्यायालय द्वारा स्व–प्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेंगी" जिसका स्सपष्ट आशय यह है कि धारा 152 के तहत निर्ण या डिक्रि में हुई उपरोक्त अशुद्धि या भूल अथवा किसी प्रकार के लोप को ही शुद्ध किया जा सकता है। पूरे निर्णय को परिवर्तित अथवा सशोंधित कर नये सिरे से कोई नया निर्णय उक्त धारा के तहत प्रसारित किये जाने का ना तो कोई प्रावधान है और ना ही धारा 152 के तहत ऐसा किया जा सकता है परिणाम स्वरूप प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 152 सी. पी. सी. निरस्त किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.12.1985 को यथावत् रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एकता काबरा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (सांगानेर)
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर।